



## राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीतिमसौदा

### प्रलिस के लयः

डेटा गोपनीयता, राष्ऱीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति, डेटा संरक्षण ।

### मैन्स के लयः

राष्ऱीय डेटा शासन फ्रेमवर्क नीति, डेटा गोपनीयता और डेटा संरक्षण से संबधति मुद्दे, आईपीआर मुद्दे ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनक्स और सूचना प्रौद्योगकी मंत्रालय (MEITY) ने संशोधति राष्ऱीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीतिमसौदा ज़ारी कयः है ।

## राष्ऱीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीतिमसौदा के बारे में:

### ■ संशोधति मसौदा:

- नया मसौदा 'नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी' अब समाप्त हो चुकी ['इंडिया डेटा एक्सेसबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी'](#) का प्रतसिथापन है ।
- नीतिका लक्ष्य शासन में सुधार के लयः सरकार के **डेटा संग्रह का आधुनकीकरण करना, देशव्यापी आर्टफिशियल इंटेलजेंस (AI) एवं डेटा-आधारति अनुसंधान और स्टार्टअप पारसिथितिकी तंत्र** को सक्षम करना है ।

### ■ प्रावधान:

- **भारतीय डेटासेट कार्यक्रम:** यह एक भारत डेटासेट कार्यक्रम की स्थापना का आह्वान करता है, जसिमें भारतीय नागरकीं या भारत के लोको से केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा एकत्र कयः गए गैर-व्यक्तगत और अज्ञात डेटासेट शामिल होंगे । नजी फर्मों को ऐसी जानकारी साझा करने के लयः "प्रोत्साहति" कयः जाएगा ।
  - इस कार्यक्रम के तहत **गैर-व्यक्तगत डेटा स्टार्टअप और भारतीय शोधकर्त्ताओं के लयः सुलभ होगा ।**
  - गैर-व्यक्तगत डेटा, डेटा का समूह है जसिमें व्यक्तगत रूप से पहचान योग्य जानकारी नहीं होती है; अर्थात् इस तरह के डेटा को देखकर कसि भी व्यक्तकी पहचान नहीं की जा सकती है ।
  - **गैर-व्यक्तगत डेटा** का उपयोग करने का प्रस्ताव सबसे पहले इंसोसि के सह-संस्थापक कसि गोपालकृष्णन की अध्यक्षता वाली सरकारी समति द्वारा प्रस्तुत कयः गया था, जसि इस तरह के डेटा के आर्थकी मूल्य की समीक्षा करने और इससे उत्पन्न होने वाली चत्ताओं को दूर करने के लयः स्थापति कयः गया था ।
- **इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफसि (IDMO):** इस ड्राफ्ट में इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफसि (IDMO) के नरिमाण का भी प्रावधान कयः गया है, जो इंडिया डेटासेट प्लेटफॉर्म की संरचना का नरिमाण और उसका प्रबंधन करेगा ।
  - IDMO सभी संस्थाओं (सरकारी व नजी) हेतु नाम प्रकट न करने संबंधी **मानकों सहति अन्य नयिमें** का नरिधारण करेगा ।
  - सुरक्षा और वसिवास के उद्देश्यों के लयः कसि भी संस्था द्वारा कोई भी गैर-व्यक्तगत डेटा साझाकरण केवल IDMO द्वारा नामति एवं अधिकृत प्लेटफॉर्मस के माध्यम से हो सकता है ।
- **डेटा की बकिरी को रोकना:** इस नए ड्राफ्ट में सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन केंद्रीय स्तर पर एकत्र डेटा की खुले बाज़ार में बकिरी के संबंध में कयः गया है; ये बदलाव पुराने ड्राफ्ट में सबसे वविदास्पद प्रावधानों में से हैं ।

### ■ आवेदन:

- एक बार अंतमि रूप देने के बाद नीति सभी गैर-व्यक्तगत डेटासेट और संबधति मानकों तथा नयिमें के साथ-साथ स्टार्टअप व शोधकर्त्ताओं द्वारा इसकी पहुँच को नयितरति करने वाले सभी केंद्र सरकार के वभिगों पर लागू होगी ।

○ राज्य सरकारों को नीतके प्रावधानों को अपनाने के लयः "प्रोत्साहति" कयः जाएगा ।

### ■ भारत डेटा एक्सेसबिलिटी और उपयोग नीति:

- पुराने मसौदे- 'इंडिया डेटा एक्सेसबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी' में प्रस्तावति कयः गया था किकेंद्र द्वारा एकत्र कयः गया डेटा जसिमें "मूल्यवर्द्धन कयः गया है", को खुले बाज़ार में "उचित मूल्य" पर बेचा जा सकता है ।
  - **भारत में डेटा संरक्षण कानून** के अभाव में सरकार द्वारा इसे मुदरीकृत करने के लयः डेटा एकत्र करने के बारे में सवालों के साथ व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा ।

## नए मसौदे की चुनौतियाँ:

- IDMO की संरचना और प्रक्रिया को नई मसौदा नीति में स्पष्ट नहीं किया गया है।
- विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि निजी कंपनियाँ स्वेच्छा से गैर-व्यक्तिगत डेटा साझा नहीं कर सकती हैं।
  - इसमें व्यापार और बौद्धिक संपदा के मुद्दे हो सकते हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/draft-national-data-governance-framework-policy>

